

नये परिवार राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र
(नगरपालिका डूंगरपुर एवं सागवाडा के लिए)

आवेदन पत्र का
मुल्य 1 रु. है।

सेवामें,

अधिशायी अधिकारी,.....
जिला डूंगरपुर ।

1. आवेदक का पूरा नाम.....पिता/पति का नाम.....
2. आवेदक का पूरा पता.....
3. आवेदक के पूरे परिवार के सदस्यों के नाम जो परिवार के साथ रहते हैं ।
क.सं सदस्य का नाम उम्र लिंग आवेदक से सम्बंध व्यवसाय
i
ii
iii
iv
v
4. आवेदक आयकर दाता हैं ; नहीं है । गैस कनेक्शन ए.बी.सी/डी.बी.सी मय नाम गैस एजेंसी
.....कनेक्शन नं.....बी.पी.एल. में चयनित है तो कमांक.....
5. आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की निर्धारित कीमत रु नकद जमा करवा रहा हूं।
6. किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक का प्रमाण पत्र (पृष्ठांकित प्रारूप 1 में)।
7. पूर्व में राशनकार्ड जारी नहीं होने पर नोटेरी/ ऑथकमिश्नर द्वारा 10 रु के स्टाम्प पर प्रमाणित शपथपत्र (पृष्ठांकित प्रारूप 2) संलग्न है।
8. परिवार के मुखिया के दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न है।
9. पूर्व में जारी राशनकार्ड जमा कराने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 10 मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के उपरोक्त अंकित सदस्यों का कोई राशन कार्ड नहीं है और न ही मैंने राशनकार्ड बनाने हेतु अलग से कोई प्रार्थना पत्र दिया है साथ ही उपरोक्त सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं है। यह घोषणा मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास से सही है ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र/पति श्री.....
.....प्लॉट/मकान नं.....निवासी.....ने नया राशन कार्ड बनाने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें दिया गया विवरण सही है व प्रमाण पत्र देने से पूर्व मैंने इसकी सत्यता का विश्वास कर लिया गया है ।अतः इसका उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे ।

हस्ताक्षर(मोहर सहित)

राजपत्रित अधिकारी/ संसद सदस्य/वि.स.सदस्य
जिला प्रमुख /पार्षद न.पा./पटवारी

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावे-

1. परिवार मुखिया के दो पास पोर्ट साइज के फोटो (कृपया फोटो प्रार्थना पत्र पर नहीं चिपकावें बल्कि प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी करें।)
2. पूर्व में जारी राशन कार्ड जमा कराने का प्रमाण पत्र । (ग्रा.क्षेत्र हेतु विकास अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र हेतु अधिशायी अधिकारी अन्य जिला मुख्यालय हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी)
3. किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक का प्रमाण पत्र (पृष्ठांकित प्रारूप 1 में यदि लागू हो)।
4. पूर्व में राशन कार्ड जारी नहीं होने पर स्वयं का शपथ पत्र नोटेरी/ ऑथकमिश्नर से प्रमाणित (पृष्ठांकित प्रारूप 2 में 10 रु नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प में प्रस्तुत करें)।
5. राशन कार्ड की कीमत रूपये आवेदन के साथ जमा कराने हैं ।

आवेदक के किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता
/पति श्री मेरे मकान
.....(पता) में गत् (समयावधि) से किरायेदार के रूप में निवास
कर रहे हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर मकान मालिक

नाम :-

पता:-

.....

(यह शपथपत्र 10 रु के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी अथवा ऑथ कमिश्नर से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।)
नये राशनकार्ड बनाने हेतु शपथपत्र

मैं पिता/ पति श्री उम्र
... पेशा जाति निवासी
..... वार्ड शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि

- 1- यह कि मैं(स्थान का नाम) का मूल निवासी हूँ तथा वर्षों से
..... नगरपालिका क्षेत्र के मकान न..... मोहल्ला वार्ड
नं. में निवास कर रहा हूँ।
- 2- यह कि राशनकार्ड हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दर्ज सदस्य मेरे परिवार के ही हैं एवं मेरे साथ ही
निवास करते हैं।
- 3- यह कि आवेदन पत्र में दर्ज मेरा एवं परिवार के सदस्यों के नाम का राशनकार्ड अन्यत्र कहीं भी
बना हुआ नहीं है एवं किसी अन्य राशनकार्ड में नाम सम्मिलित नहीं हैं।
- 4- यह कि आवेदन पत्र में गलत सूचना होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के
अन्तर्गत दण्ड के लिए भागीदार रहूंगा।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक धोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की कॉलम संख्या क्रम 1 से अन्त तक की दी गई
सूचना मेरे निजि ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथग्रहिता